

संख्या- 278 / XLI-B-1/25/06-सामान्य / 2022 / E-27797

प्रेषक,

सी0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय:-उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-922/XLI-B-1/23/06-सामा0/2022/E-27797, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस "जेम" (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित "रोजगार प्रयाग पोर्टल" के माध्यम से लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- आउटसोर्सिंग मैनपावर सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या-922, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/प्राविधानों के क्रम में विभागों द्वारा इंगित कतिपय कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-922, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए आउटसोर्सिंग मैनपावर के सम्बन्ध में रोजगार प्रयाग पोर्टल में निम्न प्रक्रियाओं का समावेश किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती के सम्बन्ध में शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन; जनपदवार चयन; विशिष्ट पदों की आवश्यकता यथा जेण्डर आदि आधारित चयन एवं जनपद के अन्तर्गत प्रशासनिक ईकाई आधारित चयन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर निम्नलिखित फिल्टर (Filter) स्थापित किये जायेंगे:-

(1)-शासकीय विभाग द्वारा पद विशेष की आवश्यकतानुसार चयन किये जाने के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता/विशिष्ट अर्हता के सम्बन्ध में मैरिट (शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि) आधारित चयन।

(II)–शासकीय विभाग की पद विशेष की आवश्यकतानुसार कार्मिकों की भर्ती जनपदवार किये जाने का विकल्प। इस हेतु अभ्यर्थियों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(III)–शासकीय विभाग द्वारा की गई माँग के अनुसार पद की विशिष्टियों के अनुरूप यथा जेण्डर आधारित, दिव्यांग कार्मिक आदि का विकल्प।

(IV)–शासकीय विभाग की आवश्यकतानुसार जनपदों के अन्तर्गत किसी प्रशासनिक इकाई यथा ब्लॉक/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत में निवासरत अभ्यर्थियों के चयन का विकल्प। इस हेतु अभ्यर्थियों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(2)–रोजगार प्रयाग पोर्टल में किसी फिल्टर (Filter) अथवा एक या एक से अधिक फिल्टर को शासकीय विभाग के अनुरोध पर खोला जायेगा। यदि शासकीय विभाग द्वारा फिल्टर खोले जाने का अनुरोध नहीं किया गया है, तो उक्त फिल्टर नहीं खोले जायेंगे। शासकीय विभाग द्वारा जितने फिल्टर खोले जाने का अनुरोध किया जायेगा, मात्र उतने ही फिल्टर खोले जायेंगे।

(3)–इस सम्बन्ध में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टरों (Filters) को Apply/Open करने की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी–

(I)–सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या सहित पद की आवश्यकतानुसार वांछित फिल्टर/फिल्टरों को Open करने हेतु ऑनलाईन अनुरोध किया जायेगा।

(II)–शासकीय विभाग का अनुरोध प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा माँग के अनुरूप फिल्टर/फिल्टरों को Open किया जायेगा, जिसे शासकीय विभाग द्वारा क्रॉस चेक करते हुए पुष्टि की जायेगी।

(III)–यदि शासकीय विभाग द्वारा यह पाया जाता है कि उसके द्वारा फिल्टर/फिल्टरों को खोले जाने सम्बन्धी अनुरोध एवं नोडल अधिकारी द्वारा Open किये गये फिल्टर में भिन्नता है, तो उसके द्वारा संशोधन हेतु नोडल अधिकारी से अनुरोध करते हुए वांछित फिल्टर को Open कराया जायेगा। शासकीय विभाग का यह समाधान होने पर कि उनके द्वारा माँग के अनुरूप फिल्टर Open कर दिये गये हैं, शासकीय विभाग द्वारा उक्त फिल्टर/फिल्टरों को Lock किया जायेगा। एक बार फिल्टर Lock होने पर इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

(IV)–तत्पश्चात सेवाप्रदाता द्वारा पंजीयन कराये जाने के उपरान्त पोर्टल पर रिक्तियों को अपलोड किया जायेगा, जिसका सत्यापन शासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।

(V)–शासकीय विभाग के अनुरोध पर Open किये गये फिल्टर/फिल्टरों के आधार पर उक्त अधिसूचना के क्रम में पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की रेण्डमाइज्ड सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4)–सम्बन्धित शासकीय विभाग एवं सेवाप्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं आवश्यक अर्हताओं से विपरीत चयन न किया जाय। चयन से पूर्व प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के परीक्षण (Screening) में यह संज्ञानित होने पर कि आवेदक द्वारा निर्धारित मानकों के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को चयन

से पृथक कर दिया जायेगा। यदि गलत तथ्यों के आधार पर किसी अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, तो सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा सेवाप्रदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नियमानुसार चयन किया जाना सेवाप्रदाता एवं सम्बन्धित शासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(5)–शासनादेश संख्या–922, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3 में रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर स्थापित चयन प्रक्रिया को यथावत रखते हुए निम्नवत् संशोधनों को सम्मिलित किया जा रहा है:–

(I)–रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया को अधिकतम तीन बार में पूर्ण किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था के कम में प्रथम बार, अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों में से 03 गुना रेण्डमाइज्ड सूची उपलब्ध करायी जायेगी। जबकि द्वितीय एवं तृतीय बार क्रमशः 05 गुना एवं 10 गुना रेण्डमाइज्ड सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार किसी चरण में उपलब्ध करायी गयी रेण्डमाइज्ड सूची में से यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध/चयनित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले चरण (यथास्थिति द्वितीय/तृतीय बार) में रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व, पूर्ववर्ती चरण में पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारणों सहित सेवाप्रदाता द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को आख्या प्रेषित की जायेगी। सेवाप्रदाता द्वारा प्रेषित उक्त आख्या पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचित रिक्तियों से घटाते हुए अवशेष रिक्तियों की यथा अपेक्षित संख्या की रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(II)–शासकीय विभाग द्वारा की गई माँग के अनुसार शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि आधारित चयन के सम्बन्ध में इस हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टर (Filter) को Apply करते हुए शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि के अवरोही क्रम (Descending order) में रेण्डमाइज्ड सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)–शासनादेश संख्या–922, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3 के बिन्दु सं0–22 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आउटसोर्स कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में 'राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा में आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण सम्बन्धी' कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–92/XXX(2)/2021–3(15)/2012, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 में निहित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में प्रचलित अन्य संगत नियमों को लागू किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शासकीय विभाग का होगा। विभागाध्यक्ष द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में आरक्षण से सम्बन्धित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(7)–पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट आवश्यकता/कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य के रूप में

सम्मिलित होंगे, के द्वारा यथा अपेक्षित निर्णय लिये जा सकेंगे। उक्तवत् समिति गठन के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं०-922/XLI-B-1/23/06-सामा०/2022/E-27797, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं०-I/287237/2025, दिनांक: 29 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

C Ravi Shankar

Date: 30-03-2025 17:30:02

(सी० रवि शंकर)

सचिव।

संख्या- 2780/XLI-B-1/25/06-सामान्य/2022/E-27797, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक (प्रशिक्षण/सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 2- समस्त नोडल अधिकारी, रोजगार प्रयाग पोर्टल।
- 3- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 4- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Signed by

Ratan Lal

Date: 30-03-2025 17:38:36 (रतन लाल)

अनु सचिव।